

13

(Ra)

CERTIFICATE OF REGISTRATION  
OF  
SOCIETY ACT XXI 1860,

No. ε 114460

I hereby certify that "राहुल टाका विकास सोसायटी"



has been registered under the  
SOCIETIES REGISTRATION ACT, XXI of 1860.

GIVEN UNDER MY HAND at DELHI on this 18<sup>th</sup> DAY OF  
अप्रैल One Thousand Nine Hundred and Eighty  
Four.

REGISTRATION FEE OF RS. 50/- PAID.

11  
REGISTRAR OF SOCIETIES  
DELHI ADMN. DELHI.

ज्ञापन पत्र

1. सस्थां का नाम : राहुल ढाका विकास सोसाईटी है।
2. कार्यलाय का पता: ए-140 राज पार्क सुल्तान पुर एक्सटेन्शन, सुलतान पुरी रोड दिल्ली-110086 में ही सघं राज्य क्षेत्र दिल्ली में ही रहेगा।
3. उददेश्य:--
  1. भारतीय प्राचीन भाषाओं का प्रचार एवं प्रसार।
  2. राहुल ढाका विकास सीमिति उपरोक्त का सुचारु रूप से संचालन करना तथा उसका प्रबंध करना।
  3. संस्कृत, प्राकृत, पालि भाषाओं एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार देव प्रसार के लिए विद्यालय महाविद्यालय एवं संघान विभाग की स्थापना करना तथा संचालन करना।
  4. जैन एवं पैनतेर सभी हिन्दु पथीं पन्थ का शिक्षा के लिए प्रबंध कराना तथा सभाओं एवे गोसिटयों का आयोजन करना।
  5. चरित्र निर्माण की शिक्षा छात्रों में समाज, राष्ट्र एवं विश्व की सेवा भावना ही जागृत करना।
  6. बालोपयोगी एवं समाज उपयोगी पत्रिका एवं ग्रन्थी का प्रकाशन करना।
  7. महिलाओं के लिए सिलाई, बढाई केन्द्र की स्थापना करना।
  8. प्रोढ शिक्षा केन्द्रो की स्थापना करना तथा उसका प्रबंध करना।
  9. औधोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा लोगों को उधोग संबंधित पूरी जानकारी देना।
  10. उधोग समधित नई नई खोज करने में सरकार का सहयोग देना।



## ज्ञापन पत्र

Registrar of Society (N.W)

- 15 - बेरोजगार लोगों की रोजगार सम्बन्धित जानकारी देना तथा भिन्न केन्द्रों की स्थापना करके बेरोजगारी दूरी करने में सरकार को सहयोग देना ।
- 16 - ऐसे सभी कार्य करना जो सोसायटी समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हों ।

4.

हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21 § पंजाब संशोधित अधिनियम 1957 § की धारा 2 के अधीन अपेक्षित कार्यकारिणी समिति के अधिकारी एवं सदस्यों के नाम, पद व्यक्त्याय, पूर्णपता, जिसकी संस्थाके नियमा नुसार कार्यभार सौंपा गया के तालिका निम्नलिखित है

क्रमसं०	नाम	पद	व्यक्त्याय	पता	हस्ताक्षर
1	राजेंद्र लाल	प्रधान	मकदूरा	सी-2/303, सुल्तानपुरी दिल्ली-4।	
2	खनिल कुमार	उप प्रधान	मकदूरा	सी-2/481 .. ..	
3	जय क्वान	प्रधानमंत्री	नौकरी	मकाननं० 140, सुल्तानपुरी दिल्ली-11004।	
4	दिनेश कुमार	उप मंत्री	व्यापार	सी/2/304 सुल्तानपुरी दिल्ली-4।	
5	श्रीमती सुशीलादेवी कोबाथक		गृहस्थी	मकाननं० 140, सुल्तानपुरी दिल्ली	
6	श्रीमती निर्मला देवी	सदस्य	..	मकाननं० 159, सुल्तानपुरी दिल्ली-4।	
7	रनबीर	सदस्य	व्यापार	पी-2/431 सुल्तानपुरी दिल्ली-4।	
8	एस०के मलहोत्रा	सदस्य	व्यापार	मकाननं० 151, सुल्तानपुरी दिल्ली-4।	
9	आशा सिवदेवा	सदस्य	गृहस्थी	मकाननं० 457, नांगलो दिल्ली	
10					



(X)

for Registrar of Society (N.W.)

- 3 -

ज्ञापन पत्र

4

नाम	पद	व्यवसाय	पूर्णपता	हस्ताक्षर
लक्ष्मी	सदस्य	गृहस्थी	एक -4/363 सुल्तान पुरी दिल्ली-41	<i>(Signature)</i>
अशोक कुमार	सदस्य	व्यापार	सी-1/169 सुल्तान पुरी दिल्ली-41	<i>(Signature)</i>

(Resign)

(Death)

सदस्यों के हस्ताक्षर

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_



दिनांक \_\_\_\_\_

*(Signature)*

RAJAN KUMAR  
Member of Parliament  
& SAHAB  
Flat  
Puri

नियम - उप नियम

- 9 -



16. न्यायालय :-




न्यायालय में यदि कोई मुकदमा सोसायटी के विरुद्ध दायर होता है या सोसायटी के किसी अन्य किसी विरुद्ध मुकदमा दायर करना पड़ा तो वह संस्था पंजी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सोसायटी में मंजूरी के ही लिया जायेगा।

17. सूचना देना :-


किसी प्रकार के बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व देनी अनिवार्य होगी। आपातकालीन बैठक तत्काल बुलाई जायेगी।



सदस्यों के हस्ताक्षर

- 1.  प्रधान
- 2.  सचिव
- 3.  सदस्य

दिनांक \_\_\_\_\_

  
 Principal  
 K.D. Public School,  
 (Govt. Recognised)  
 Gurgaon V. No. Delhi-41





हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता शापन पत्रों का अनुकरण करते हुए संधि राज्य क्षेत्र दिल्ली प्रभावी समिति अधिनियम 1860 का [21] पंजाब संशोधित अधिनियम 1957 के अधीन राहुल टाका, सोसायटी के नाम इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।

क्रमांक	नाम	पद	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	राकर लाल	प्रधान	मजदूरी	सी-2/303, सुल्तानपुरी दिल्ली-110041	[Signature]
2	लनिलकुमार	उपप्रधान	मजदूरी	पी-2/481, सुल्तानपुरी दिल्ली-110041	[Signature]
3	जय किरान	उपनिर्मात्री	नौकरी	मोन0140, सुल्तानपुरी एक्सटेंशन दिल्ली-41	[Signature]
4	दिनेशकुमार	उप मंत्री	व्यापार	सी-2/304 सुल्तानपुरी दिल्ली-110041	[Signature]
5	श्रीमती सुरतीलादेवी	कोषाध्यक्ष	गृहस्थी	म0 न0140 सुल्तानपुरी एक्सटेंशन दिल्ली-41	[Signature]
6	श्रीमती निर्मलादेवी	सदस्य	गृहस्थी	मोन0 139, सुल्तानपुरी दिल्ली-110041	[Signature]
7	रनबीर	सदस्य	व्यापार	पी-2/481 सुल्तानपुरी दिल्ली-110041	[Signature]
8	एस0 के0 मलहोत्रा	सदस्य	व्यापार	मोन0 151, सुल्तानपुरी एक्सटेंशन, दिल्ली-41	[Signature]
9	श्रीमती लक्ष्मीदेवी	सदस्य	गृहस्थी	मोन0 457, नांगलोई दिल्ली-110041	[Signature]
10	लक्ष्मी	सदस्य	गृहस्थी	एक-4/363 सुल्तानपुरी दिल्ली-110041	[Signature]
11	अशोककुमार	सदस्य	व्यापार	सी-1/169 सुल्तानपुरी दिल्ली-110041	[Signature]

सदस्यों के हस्ताक्षर

- 1 [Signature] प्रधान
- 2 [Signature] उपनित्री
- 3 [Signature] सदस्य

दिनांक \_\_\_\_\_

[Large handwritten signature and scribbles]

### नियम - उपनियम

1. संस्था का नाम:- राहुल ढाका विकास सोसायटी है।
2. कार्यालय का पता :- ए-140 राजपार्क सुल्तान पुरी,दिल्ली-110086  
दिल्ली सघं राज्य क्षेत्र दिल्ली में ही रहेगा।
3. सोसायटी का संगठन :- उददेश्यों की पूर्ति के लिए सोसायटी का निम्नप्रकार से होगा।

#### अ साधारण सदस्य:-

सोसायटी के उददेश्यों में विश्वास रखने वाले उत्तम आचरणशील, भारतीय नागरिक 12/- रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देकर साधारण सदस्य बन सकते हैं।

#### ब विशेष सदस्य:-

साधारण सदस्य की योग्यता रखने वाले व्यक्ति 201/- रूपया एक साथ देने पर विशेष सदस्य बन सकते हैं।

#### स- आजीवन सदस्य:-

साधारण सदस्य की योग्यता रखने वाले व्यक्ति 1100/-रूपया एक साथ देने पर आजीवन सदस्य बन सकते हैं।

#### द- सम्मानित सदस्य:-

वे व्यक्ति जो भारतीय भाषाओं के विशिष्ट विधान प्राच्य विद्या विशारद अथवा सासायटी के लिए बहुत ही उपयोगी राजनायिक हैं। वे बिना किसी शुल्क के ही पाँच वर्ष तक के लिये सोसायटी के सम्मानित सदस्य कार्यकारिणी सभा द्वारा मनोनित किये जा सकते ह। उन सदस्यों का चनाव आदि पक्षपात पूर्ण कार्य अलग होगा।





8

Amended as on 11/12/2019

For Registrar of Society (N.W.)

## नियम - उप नियम

5:-

पद से मुक्त :-

कोई भी व्यक्ति पदाधिकारी सवेच्छा से किसी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है । आचरण हीनता सिद्ध होने पर अथवा शासन द्वारा दंडित घोषित होने पर कार्यकारिणी बहुमत अविश्वास प्रस्ताव पारित करके किसी भी पदाधिकारी को अपने पद से अलग कर सकती हैं।

6:-

पदाधिकारियों का कर्तव्य व अधिकार:

अध्यक्ष:- सोसायटी की विशेष बैठक तथा अधिवेशनों की अध्यक्षता करना।

उप अध्यक्ष :-

- 1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता के रूप में कार्यकरना।
- 2 ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करना एवं कर्तव्यों का पालन करना भी अध्यक्ष द्वारा उनके लिखित रूप में प्रति विदित किये गये हो।

मन्त्री:-

- 1 यह सोसाईटी के लिए समस्त अनुदान तथा चन्दे प्राप्त करना और उनके लिए यथां विधि रसीद देना।
- 2 कार्यसमिति के निर्देशों के अधीन रखते हुए सोसायटी को सम्पत्तियों तथा धन राशियों की सुरक्षित अभीरक्षा तथा विनियोजित का प्रबन्ध करना वह एसी सम्पत्ति तथा धनराशी के प्रबन्ध तथा प्रशासन के लिए भी अत्तरदायी होगी।



9

For M  
Registrar of Society (N.W.)

### नियम- उपनियम

3

कार्यकारिणी के कर्तव्य व कार्य:-

- 1 नर्सरी से प्राईमरी एवं उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय महाविद्यालय, स्थापित करना तथा उसका संचालन करना।
- 2 नारी शिक्षा के लिये कन्या विद्यालय, कन्या महाविद्यालय सिलाई कढ़ाई केन्द्र स्थापित करना तथा उसके संचालन करना।
- 3 बच्चों के मनोरंजन का व्यवस्था करना तथा समाजिक खेल कूद एवं प्रतियोगिता तथा विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम करना तथा उसका संचालन करना।
- 4 समिति नर्सरी से प्राइमरी उच्च शिक्षा के लिए विद्यालय महाविद्यालयों निशुल्क औषधालय स्थापित करना तथा उसका संचालन करना।



10

Amended as on 11-12-2019

for Registrar of Society (N.W.)

6

- 5 मंत्री पद का श्री जय किशन इस सोसायटी की आजीवन प्रधान मंत्री होगा। परन्तु दनके त्याग पत्र देने पर या इनके मृत्यु के पश्चात इस पद का कार्यकारिणी सभा द्वारा चुनाव होगा।
- 4 नियमों तथा स्वीकृति की राशि की बजट में की गयी व्यवस्था के भीतर सासायटी के वित्त का प्रशासन तथा नियन्त्रण करना।
- 5 कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से सासायटी के समस्त लेखा का संचालन और उसकी वार्षिकी परीक्षा को प्रबन्ध करना।
- 6 विभिन्न संस्थाओं तथा समितियों के अन्य समस्त कर्मचारियों के वेतन तथा धन राशियों का भुगतान करना और कार्य समिति द्वारा अधिकृती व्यय में से सामग्रियों के लिए भुगतान स्वीकृति करना।
- 7 सोसायटी की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- 8 सासायटी सम्बन्धित अनुबन्ध तथा सासायटी की सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त हस्ताक्षरों और सविदों समस्त विल्लेखा पर हस्ताक्षर करना।
- 9 सोसायटी से सम्बन्धित समस्त कानूनी कार्यवाही प्रतिनिधित्व करना और उन कार्यवाहियों अथवा मामलो में उनकी और से अभिकथनो प्लीडिंग पर हस्ताक्षर करना तथा उनके सत्यापित करना यदि संस्था पर कोई मुकदमा चलता है। या संस्था किसी पर मुकदमा चलाती है। तो वह मंत्री के नाम से ही दायर होगा।
- 10 अध्यक्ष की स्वीकृति से कार्य समिति की बैठके बुलाना और सोसायटी के प्रबन्ध तथा प्रशासन से सम्बन्धित समस्त पत्र।



(11)

Amended as on 11.12.2019

(15)

For Registrar of Society (N.W.)

### नियम उप नियम

व्यवहार रजिस्ट्री तथा पुस्तको का अभिलेखा करना सोसायटी की स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक से अधिक 200रूपया। तक व्यय करना।

- 11 सभी विद्यालयों के पथेन प्रबन्धक के रूप में कार्य करना तथा शिक्षा संस्थाओं के मुख्य कार्य अधिकारी का भार वहन करना।

### उप मंत्री

मंत्री की उसके कर्तव्य पालन में सहायता और उसकी और से उन मामलो में काम करना जो मंत्री द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये हो।

विद्यालय के पदेन सहायक प्रबन्धक रूप में कार्य करना।

### कोषाध्यक्ष:-

कोषाध्यक्ष 1 सोसायटी सम्बन्धी विधियों तथा राशियों तथा व लेखा करना।

2 मंत्री के साथ सयुक्त रूप से संस्था के सभी लेखो का सुचालित करना।

3 सासायटी के लेखा परीक्षक के समक्ष लेखा रजिस्ट्रार प्रमाणक बाउचर रसीदें तथा अन्यवत जो लेखो परीक्षक के लिये आवश्यक हो, प्रस्तुत करना।

### लेखा परीक्षक:-

प्रतिवर्ष कार्यकारिणी किली वाहय अनुभव शील व्यक्ति की आय व्यय, निरीक्षण हेतु मनोनित करेगी।

लेखा परीक्षक कोषाध्यक्ष अथवा मंत्री द्वारा प्रस्तुत सोसायटी के वार्षिक आय व्यय की परीक्षा करेगा औ तत्सम्बन्धित व प्रमाण पत्र देना

12

Amended as on 11.12.2019

14

for  
Registrar of Society (N.W.)

## नियम उप नियम

7/1 सोसायटी की सभी निधियों बैंक या डाकघर में मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के सयुक्त पदनामों से जमा किये जायेगे।

7/2 अधिक से अधिक 100 रूपया तक की धनराशी कोषाध्यक्ष अपने पास रख सकेगा।

7/3 लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक अधिवेशन से पूर्व सोसायटी से पूर्व सोसायटी की लेखा की परीक्षा करेगा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सोसायटी की आय, व्यय, विवरण के लगा दी जायेगी।

8 नियमावली में परिवर्तन:-

इस नियमावली में परिवर्तन करने का अधिकार कार्यकारिणी का होगा। ऐसे परिवर्तन के लिये कार्यकारिणी के तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

9 रिक्त स्थान की पूर्ति:-

प्रबन्ध समिति में कोई स्थान आकस्मिक रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण द्वारा चुनाव करके की जायेगी।

10 सदस्यता समाप्त :-

10/1 सोसायटी के उद्देश्यों का विपरीत करने पर ।

10/2 नियम-उपनियमों में उलंघन करने पर ।

10/3 त्याग पत्र देने पर, मृत्यु मागल, दिवालियों होने पर।

10/4 अविश्वास प्रस्ताव पास कर हटाये जाने पर।

10/5 तीन बैठके लगातार बिना सूचता दिये अनुपस्थित हाने पर ।



(13)

Registrar of Society (N.W.)

- 10/6 लगातार तीन माह तक सोसायटी का मासिक शुल्क जमा न करने पर।
- 10/7 न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दंडित कये जाने पर।
- 10/8 जो ऐसा कर्यकरने पर सोसायटी के जानकारी नही हो और जिसमें सासायटी पर कोई धार्मिक समाजिक गतिरोध पैदा होता है
- 10/9 बैठक के आवश्यक रूप से गडबड पैदा करने पर।

## 11 अपील:-

किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हाने पर उसकी कार्यकारिणी की बैठक में अपनी सदस्यता के लिए अपील करने का अधिकार होगा।

## 12 पुनः सदस्यता:-

किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर कार्यकारिणी उसकी आवेदन पत्र विचार करेगी और उसकी बहाल कर सकेगी, लेनि सदस्यता बहाल करने पर सदस्य की सासायटी पिछली समस्त देय धनराशियों का भूगतान करना होगा तथा प्रवेश शुल्क पुनः जमा कराना होगा तभी उसकी सासायटी का सदस्य बनाया जा सकेगा।

## 13 साधारण सभा कर्तव्य व अधिकार:-

- 13/1 सोसायटी के समस्त सदस्यों की एकत्र करके ही साधारण सभा का गठन किया जायेगा।
- 13/2 साधारण सभा की बैठके एक माह में एक बार अवश्य होगी। इसलिए कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
- 13/3 साधारण सभा की कोरम 1/3 सदस्यों की उपस्थिति ही माना लायेगा।

14

Fol. M  
Registrar of Society (N.W.)

13/4 कार्यकारिणी के सदस्यों व पदाधिकारियों के कार्य का निरीक्षण करना अपना निर्णय देना।

13/5 कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव साधारण समी की बैठके में ही तीन वर्ष बाद ही किया जायेगा।

13/6 सोसायटी के आय, वयय में समस्त हिसाब किताब की पूर्ति साधारण सभा ही करेगी।

13/7 साधारण समी द्वारा किये गये निर्णय अन्तिम माना जायेंगे।

14 कार्यकारिणी कर्तव्य व अधिकार:-

14/1 कार्यकारिणी की बैठके एक माह में एक बार होगी। उसके लिये कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

14/2 सासायटी के समस्त कार्य एवं सदस्यों की देखभाल करना।

14/3 सासायटी समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।

14/4 सोसायटी के उद्देश्यों का पूर्ति हेतु उपसमिति का गठित करना इनके कार्यों का सौपना, कार्य समाप्त पर उनकी भंग करना।

14/5 सोसायटी के कार्य पूर्ति हेतु कर्मचारियों का नियुक्ति करना, उनकी कार्यसौपना कार्यों का निरीक्षण करना उनका वेतन नियुक्त करना, वेतन कम करना बढ़ाना उनका वेतन निश्चित करना वेतन का भुगतान करना कोई अवाचित कार्य करने पर उनकी निलम्बित करना।

15 कोरम:-

सोसायटी के समस्त प्रकार की बैठक में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना कोरम मानी जायेगी। उससे कम उपस्थिति होने पर बैठक



(15)

F.L. M.  
Registrar of Society (N.W.)

स्थगित हो जायेगी। पुनः दो दिन बाद बुलाई जायेगी। और इस प्रकार से बुलाई गई बैठक उपरोक्त के अनुसार कोरम की पूरी होने अनिवार्य नहीं हो और ऐसी बैठक में लिये गये निर्णय अन्तिम ही मानी जायेगी।





OFFICE OF THE REGISTRAR OF SOCIETY  
District North-West, Kanjhawala, Delhi-110081  
Registration No. S/14460  
Documentation No. \_\_\_\_\_  
Date 18/04/1984

*[Handwritten Signature]*  
11/12/19

Registrar of society  
District North- West  
Govt. of NCT of Delhi

Amended as on 11.12.2019

*[Handwritten Signature]*  
for Registrar of Society (N.W.)



SDM (HQ) Registrar of Firms/Society  
District North- West, Kanjhawala, Delhi  
Diary No. 7324  
Date 31/10/2012



16



संशोधन

सेसायटी की शासी निकाय को समाज द्वारा संचालित स्कूलों की प्रबंधन समिति का गठन करने और स्कूल के अध्यक्ष और प्रबंधक को नामित करने का अधिकार है

दलबीर सिंह  
(अध्यक्ष)

जय किशन  
(सचिव)  
जय किशन

सुशीला देवी  
(कोषाध्यक्ष)

सचिव  
इस बाका विचार सोसायटी (पब्लिक)



17

for  
Registrar of Society (N.D.)

## संशोधन

प्रस्ताव दिनांक 31/01/2019 को राहुल ढाका समाज रजि० और शासी निकाय राहुल ढाका समाज(एस -14460) के प्रबंध सदस्याकं के नाम पता,व्यवसाय, योग्यता,और पदनाम में परिवर्तन के संबंध में पारित किया गया था।

## प्रबंध समिति राहुल ढाका समाज रजि०

क्रम संख्या	नाम	पद	शैक्षणिक शिक्षा	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	दलबीर सिंह	अध्यक्ष	एम ए बीएड	शिक्षाविद	फ्लैट न० 102 सी०22 पाकेट 13 रोहिणी दिल्ली	
2	राहुल ढाका	उपाध्यक्ष	बी ए	शिक्षाविद	मन ए-140 राजपार्क सुल्तान पुरी दिल्ली	
3	वरुण	उपाध्यक्ष	बी ए	शिक्षाविद	म न ए-140 राजपार्क सुल्तान पुरी दिल्ली	
4	जय किशन	सचिव	बी ए	शिक्षाविद	म न ए-140 राजपार्क सुल्तान पुरी दिल्ली	
5	सुशीला देवी	कोषाध्यक्ष	दसवी	स्माज सेवक	म न ए-140 राजपार्क सुल्तान पुरी दिल्ली	
6	योगिता ढाका	सदस्य			म न ए-39 राजपार्क सुल्तान पुरी दिल्ली	
7	वरुणा ढाका	सदस्य	एम कॉम	शिक्षाविद	म न ए-140 सुल्तान पुरी दिल्ली	
8	प्रिबीता भारदवाज	सदस्य	एम ए बीएड	शिक्षक	म न ई1/38 सुल्तान पुरी दिल्ली	

दलबीर सिंह  
(अध्यक्ष)

जय किशन  
(सचिव)  
जय किशन  
सचिव

सुशीला देवी  
(कोषाध्यक्ष)

राहुल ढाका विकास सोसाइटी (रजि०)



## संशोधन सूची शासी निकाय

मैं जय किशन सचिव राहुल ढाका विकास सोसायटी रजि० (एस -14460) इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि सरकार की सेवा में गवर्निंग बोडी का कोई भी सदस्य गवर्निंग बॉडी के वर्तमान सदस्य को पूर्ण विवरण नीचे सूचीबद्ध नहीं किया गया है जिसे सोसायटी का प्रबंधन धारा 2 क तहत आवश्यक रूप से सौपा गया है 1860 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आवेदन के रूप में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत है।

प्रबंध समिति राहुल ढाका विकास सोसायटी रजि०



क्रम संख्या	नाम	जन्मतिथि	पद	शैक्षणिक	व्यवसाय	पता	अनुभव वर्ष	हस्ताक्षर
1	दलबीर सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम	25.03.1966	अध्यक्ष	एम ए बीएड	शिक्षाविद	आर डी पी एस एन 48 सुल्तानपुरी रोड ब्लॉक डी-5 कृष्ण विहार दिल्ली	26 वर्ष	
2	विवेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरजमान शर्मा	05.08.1958	उपाध्यक्ष	दसवी	नौकरी	आर डी आई एस पाकेट 9 - से० 21 रोहिणी दिल्ली	30 वर्ष	
3	महावीर अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल	18.08.1968	सदस्य	बारहवी	नौकरी	आर डी आई एस पाकेट 9 - से० 21 रोहिणी दिल्ली	10 वर्ष	
4	जय किशन पुत्र श्री शंकर लाल	15.04.1958	सचिव	बी ए - II	शिक्षाविद	आर डी आई एस पाकेट 9 - से० 21 रोहिणी दिल्ली	40 वर्ष	
5	सुशीला देवी	10.03.1969	कोषाध्यक्ष	दसवी	समाज	आर डी पी एस	40 वर्ष	

19

Registrar of Society (N.W.)

	पुत्री श्री सुमेर चन्द				सेवक	एन 48 सुल्तान पुरी रोड ब्लॉक डी-5 कृष्ण विहार दिल्ली	वर्ष	
6	योगिता डाका पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार	16.09.1998	सदस्य	एम म बीएड		आर डी पी एस एन 48 सुल्तान पुरी रोड ब्लॉक डी-5 कृष्ण विहार दिल्ली	06 वर्ष	योगिता Rani
7	वरुणा डाका पुत्री श्री गिरधारी लाल सागर	18.01.1993	सदस्य	एम कॉम	शिक्षाविद	आर डी पी एस एन 48 सुल्तान पुरी रोड ब्लॉक डी-5 कृष्ण विहार दिल्ली	2 वर्ष	Varun
8	बबीता भारदवाज पुत्री श्री सतपाल	28.08.1970	सदस्य	एम ए बीए	सेवक	आर डी पी एस एन 48 सुल्तान पुरी रोड ब्लॉक डी-5 कृष्ण विहार दिल्ली	20 वर्ष	Bay
9	रमेश चन्द्र पुत्र श्री पंचम लाल	05.01.1975	सदस्य	दसवी	नौकरी	आर डी आई एस पाकेट 9 - सी0 21 रोहिणी दिल्ली	02 वर्ष	R
10	सीमा डाका पुत्री श्रीश्याम लाल	18.02.1981	सदस्य	बरहवी	व्यवसाय	मैन शहर बहादुरगढ़	3 वर्ष	Seema

दलबीर सिंह  
(अध्यक्ष)जय किशन  
(सचिव)  
जय किशन  
सचिवसुशीला देवी  
(कोषाध्यक्ष)

सक डाका विकास सोसायटी (रवि.)





20

18

OFFICE OF THE REGISTRAR OF SOCIETY  
District North-West, Kanjhawala, Delhi-110081  
Registration No. 311460  
Documentation No. \_\_\_\_\_  
Date 11.9.04/1984

*[Handwritten Signature]*  
11/11/2019

Registrar of society  
District North- West  
Govt. of NCT of Delhi

Amended as on 11.12.2019

*[Handwritten Signature]*  
Registrar of Society (N.W.)

SDM (HQ) Registrar of Firms/Society  
District North- West, Kanjhawala, Delhi  
Diary No. 7924  
Date 31/10/2019

Th